न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रा0प्र0क्र0 I/निगरानी/सिवनी/भू.रा/2018/0153 प्रस्तुत दिनांक-19/12/2017

प्रेमलाल काछी पिता बसोडीलाल काछी, आयु-66 वर्ष, निवासी-ग्राम धूमा, तहसील- लखनादौन, जिला-सिवनी (म.प्र.)

..................पुनिरीक्षणकर्ता

19 DEC 2017

विरुद्ध

म.प्र.शासन व्दारा श्रीमान कलेक्टर सिवनी, जिला-सिवनी(म.प्र.)

..................उत्तरवादी

पुनिरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959।

मानननीय न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, जबलपुर संभाग के व्दारा रा.प्र.क्र. 0280/अपील/2016-17, प्रेमलाल काछी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31/10/2017 से परिवेदित होकर पुनिरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि पुनिरीक्षणकर्ता ग्राम धूमा का निवासी है पूर्व में निर्मित आवासीय मकान के आधार पर ग्राम क्षेत्र में भवन के स्थल में भूमिस्वामी अधिकार देने बावद पुनिरीक्षणकर्ता को ग्राम पंचायत धूमा के व्दारा दिनांक 23/03/1991 के अनुसार खसरा नम्बर 411 रकबा 0.82 हे. में से 60 बाई 36 बराबर 2160 वर्ग फुट का स्वामित्व प्रदान किया गया है। उपर्युक्त वर्णित भू-खण्ड में निर्मित मकान में पुनिरीक्षणकर्ता परिवार सहित निवासरत है।

2- यह कि ग्राम धूमा के हलका पटवारी के व्दारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर पुनिरीक्षणकर्ता के विरुद्ध माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय लखनादौन के समक्ष रा.प्र.क्र.32/अ-68/2008-09 दर्ज किया गया था जिसमें यह आरोपित किया गया कि पुनिरीक्षणकर्ता के व्दारा उपर्युक्त वर्णित भूमि में से 0.22 हे. पर अतिक्रमण किया गया था।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/सिवनी/भू.रा./2018/0153 **जिला** – सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह पाया है कि आवेदक द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसकी पुष्टि पटवारी प्रतिवेदन तत्कालीन सरपंच आदि द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से होती है। अतिक्रमण सिद्ध पाये जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को शासकीय भूमि खसरा नं. 411 रकवा 0.82 हे. में से 0.22 हे. भूमि से वेदखल किए जाने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	